



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122020-223570
CG-DL-E-08122020-223570

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3890]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 7, 2020/अग्रहायण 16, 1942

No. 3890]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 7, 2020/AGRAHAYANA 16, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4430(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के रायगढ जिले में मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे स्पर से एन एच एन ई -4 के 74.195 कि.मी. से 82.195 कि.मी. तक के भूखंड के (महाराष्ट्र सेक्शन) का निर्माण (चौड़ा करने/छह / आठ लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तथा उपविभागीय अधिकारी, पनवेल विभाग पनवेल, रायगढ महाराष्ट्र को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपो की सुनवाई के पश्चात् तथा

ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में मुंबई - वडोदरा एक्सप्रेसवे स्पर से एन एच एन ई- 4 के 74.195 कि.मी. से 82.195 कि.मी. (महाराष्ट्र सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: रायगढ़			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: पनवेल					
गांव का नाम: आंबे तर्फे तळोजे					
1	28/2	निजी	कृषि	0.0403000(हेक्टेयर)	0.0403000
2	28/4	निजी	कृषि	0.5776000(हेक्टेयर)	0.5776000
3	28/5	निजी	कृषि	0.1044000(हेक्टेयर)	0.1044000
गांव का नाम: करंबेली तर्फे तळोजे					
1	2	सरकारी(राखीव वन)	अकृषी	1.1136000(हेक्टेयर)	1.1136000
गांव का नाम: मोर्बे					
1	122/2	निजी	कृषि	0.0120000(हेक्टेयर)	0.0120000
2	122/3	निजी	कृषि	0.1600000(हेक्टेयर)	0.1600000
3	126/1	निजी	कृषि	0.6840000(हेक्टेयर)	0.6840000
4	126/2	निजी	कृषि	0.0070000(हेक्टेयर)	0.0070000
गांव का नाम: शिरावली					
1	91/3	निजी	कृषि	0.0073000(हेक्टेयर)	0.0073000
2	91/4	निजी	कृषि	0.0530000(हेक्टेयर)	0.0530000
3	91/5	निजी	कृषि	0.0800000(हेक्टेयर)	0.0800000
4	91/6	निजी	कृषि	0.0564000(हेक्टेयर)	0.0564000

गांव का नाम: बांगणी तर्फे तळोजे					
1	16/7B	निजी	कृषि	0.0793000(हेक्टेयर)	0.0793000
2	19/3	निजी	कृषि	0.1174000(हेक्टेयर)	0.1174000
कुल				3.0923	3.0923

[फा. सं. NHAI/PIU/Surat (Expressway)/3A]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2020

S.O. 4430(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening /Six / Eight laning etc.), maintenance, management and operation of Mumbai - Vadodara Expressway Spur to NH NE-4, in the stretch of land from Km. 74.195 to Km. 82.195 (Maharashtra Section) in the district of Raigad in the state of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Sub Divisional Officer, Panvel Division, Panvel, District - Raigad, Maharashtra in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures, falling within the stretch of land from Km. 74.195 to Km. 82.195 (Maharashtra Section) Mumbai - Vadodara Expressway Spur to NH NE-4, in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA		District: RAIGAD			
Sl.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Panvel					
Village: Ambe tarf taloje					
1	28/2	Private	Agricultural	0.0403000(Hectare)	0.0403000
2	28/4	Private	Agricultural	0.5776000(Hectare)	0.5776000
3	28/5	Private	Agricultural	0.1044000(Hectare)	0.1044000
Village: Karambeli Tarf Talaje					
1	2	Government(Reserve Forest)	Non Agricultural	1.1136000(Hectare)	1.1136000
Village: Morbe					

1	122/2	Private	Agricultural	0.0120000(Hectare)	0.0120000
2	122/3	Private	Agricultural	0.1600000(Hectare)	0.1600000
3	126/1	Private	Agricultural	0.6840000(Hectare)	0.6840000
4	126/2	Private	Agricultural	0.0070000(Hectare)	0.0070000
Village: Shiravali					
1	91/3	Private	Agricultural	0.0073000(Hectare)	0.0073000
2	91/4	Private	Agricultural	0.0530000(Hectare)	0.0530000
3	91/5	Private	Agricultural	0.0800000(Hectare)	0.0800000
4	91/6	Private	Agricultural	0.0564000(Hectare)	0.0564000
Village: Wangani Tarf Taloje					
1	16/7B	Private	Agricultural	0.0793000(Hectare)	0.0793000
2	19/3	Private	Agricultural	0.1174000(Hectare)	0.1174000
Total				3.0923	3.0923

[F. No.: NHAI/PIU/Surat (Expressway)/3A]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.